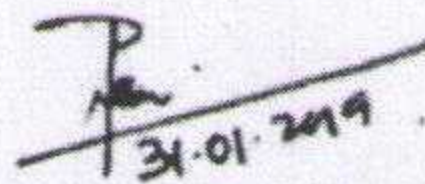


“राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र”

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2709/12-1 दिनांक 10/01/2019 से जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अंतर्गत बांसबाड़ा-किरोली-जलई-गैर कण्डारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित पंचायती वन भूमि जो केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से 7.25 कि०मी० दूरी पर है, के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व वन कर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दृष्टि से और सुदृढ़ होगी के साथ उक्त मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति के साथ दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त परियोजना के निर्माण हेतु संस्तुति दी जाती है।


31.01.2019

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

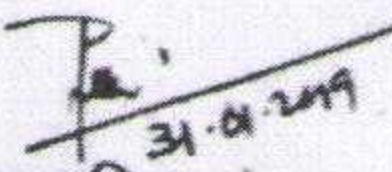
85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745691

पत्रांक 2116 / 12-1

देहरादून

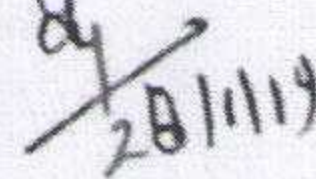
दिनांक 04 जनवरी 2019

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को उनके पत्रांक 2716/12-1 दिनांक 11/01/2019 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


31.01.2019

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड


28/1/19